उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल

द्वारा जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर में स्थापित

स्थायी लोक अदालत एवं इसके उद्देश्य, लाभ एवं शक्ति

स्थायी लोक अदालत में निम्नलिखित जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामलों का त्वरित/निःशुल्क निस्तारण किया जाता हैः–

- वायु/सड़क/जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा
- डाक, तार या टेलीफोन सेवा
- अस्पताल या औषधालय सेवा
- शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों
- बैकिंग एवं वित्तीय सेवा
- किसी संस्थान द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय
- सार्वजनिक जन संरक्षण या स्वच्छता प्रणाली
- बीमा सेवा
- आवास और भू–संपदा सेवा

➢ स्थायी लोक अदालत में जनउपयोगी सेवाओं से पीड़ित कोई भी निःशुल्क आवेदन कर सकता है। अर्थात्, कोई न्याय शुल्क नहीं लगता है।	➢ स्थायी लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य वाद का निस्तारण सुलह–समझौते के आधार पर किया जाता है तथा उक्त के माध्यम से निस्तारण न होने की दशा में, गुणदोष के आधार पर किया जाता है।
➢ स्थायी लोक अदालत में ऐसे वादों का प्री–लिटीगेशन स्तर पर निस्तारण किया जाता है, जो किसी भी न्यायालय में लम्बित अथवा संदर्भित नहीं किये गये है।	➢ स्थायी लोक अदालत को ऐसे मामले में अधिकारिता है, जिसमें वादग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य एक करोड़ रूपये तक है।
➢ स्थायी लोक अदालत में पारित आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के समान होता है। यह आदेश सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।	➢ स्थायी लोक अदालत एक साधारण प्रक्रिया है, जिसमें वादों के निस्तारण में बहुत कम समय लगता है।
➢ स्थायी लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।	➢ स्थायी लोक अदालत में प्रत्येक कार्यदिवसों में वादों की सुनवाई होती है।

अतः जो भी व्यक्ति उपरोक्त जनउपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित अपने मामलों का त्वरित/निःशुल्क निस्तारण करवाना चाहते हैं, वह किसी भी कार्यदिवस में निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैंः–

अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत
सिविल कोर्ट परिसर, देहरादून, दूरभाषः 0135–2720275
ई0मेल:**pladoon@outlook.com**

अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत
ए.डी.आर. परिसर, हरिद्वार, दूरभाषः 01334–292036
ई0मेल:**plaharidwar@gmail.com**

अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत
सिविल कोर्ट परिसर, नैनीताल, दूरभाषः 05942–239997
ई0मेल:**planainital@gmail.com**

अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत
ए.डी.आर. परिसर, ऊधमसिंह नगर, दूरभाषः 05944–250207
ई0मेल:**plausnagar@gmail.com**

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करेंः–

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल
दूरभाषः 05942–236762, फैक्सः 05942–236552, ई0मेल0: **slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com**
टोल फ्रीः 1800–180–4000